


1245  
D-5-13

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 27, सोमवार, शाके 1934-मार्च 18, 2013 Phalguna 27, Monday, Saka 1934- March 18, 2013	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये  
(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम।

कृषि (गुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2013

जी.एस.आर. 126:-राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त धारा की उप-धारा 4 के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश करती है कि इन संशोधन नियमों को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्त रखा जाये क्योंकि राज्य सरकार का विचार है कि इन संशोधनों को तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 52 का संशोधन- उक्त नियमों के नियम 52 के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आठ लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या प.(24)कृषि/गुप-2/2006]

राज्यपाल की आदेश से,

आर.आर. सुलानिया,

शासन उप सचिव।

AGRICULTURE (Gr-2) DEPARTMENT  
NOTIFICATION

*Jaipur, February 11, 2013*

**G.S.R. 126.**—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), the State Government hereby makes the following amendments further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Rules, 1963 and orders with reference to the proviso to sub-section (4) of the said section, that previous publication of these amendment rule is dispensed with as the State Government considers that these amendments should be brought into force at once, namely:-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Rajasthan Agriculture Produce Markets (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force at once.

**2. Amendment of rule 52.**— In proviso to rule 52 of the said rules, the existing expression "Eight Lac Rupees", the expression, "Ten Lac Rupees" shall be substituted.

[No.F4(24)Agri/Gr-2/2006]

By Order of the Governor,

R.R.SULANIYA.

Dy. Secretary to the Govt.

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 4, 2013

जी.एस.आर. 127:—राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम संख्या-38) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज मण्डी (उप मण्डी यार्डों की स्थापना) नियम, 1987 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है और उक्त धारा की उप-धारा (4) के परन्तुक के प्रति

भाग 4(ग) राजस्थान राज-पत्र, मार्च 18, 2013 207(3)

निर्देश से इसके द्वारा आदेश देती है कि ये नियम पूर्व प्रकाशन के बिना बनाये जायेंगे क्योंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि इन नियमों को तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिये अर्थात्:-

**संशोधन**

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (उप मण्डी यार्डों की स्थापना) नियम, 1987 के नियम 3(ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पन्द्रह लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जाती है।

[संख्या पं.10(28)कृषि/मुप-2/85]

राज्यपाल की आज्ञा से,

आर.आर. सुलानिया,

उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।